



# NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

**RAJESH GOYAL**  
PRESIDENT  
9319106205

**ANIL AGARWAL**  
VICE PRESIDENT  
9319108920

**MANOJ BANSAL**  
VICE PRESIDENT  
9997905959

**YOGESH JINDAL**  
TREASURER  
9837042001

एनसीआईसी / 01 / 2023-24 /

23 अगस्त, 2023

सेवा में,  
मा0 श्री मनसुख माण्डविया जी,  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री,  
केन्द्र सरकार, निरमान भवन, राजपथ एरिया,  
नई दिल्ली - 110001

**विषय :- डाक्टर्स द्वारा जेनरिक दवाईयां लिखे जाने एवं सभी जेनरिक दवाईयों के एमआरपी निर्धारण के सम्बन्ध में।**

श्रीमान,  
सादर अभिनन्दन

आपके द्वारा नेशनल मेडीकल कमिशन अधिनियम 2019 के अन्तर्गत 2 अगस्त 2023 से डाक्टरों के हेतु रेगुलेशन्स बनाये जाने का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।

जिस प्रकार मेडीकल काउंसिल अधिनियम 1956 के अन्तर्गत बनाये गये रेगुलेशन में यह अनिवार्य था कि डाक्टर्स जेनरिक दवाईयां लिखें इसी प्रकार नये बनाये गये रेगुलेशन में भी जेनरिक दवाईयां लिखना डाक्टरों के लिये अनिवार्य है, जिसका सराहनीय प्रयोजन यही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी दवाई ले सके और अपना इलाज करवा सके। उक्त महत्वपूर्ण व जनोपयोगी रेगुलेशन्स को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू होना चाहिये जिसका हम सविनय अनुरोध करते हैं।

इसी सन्दर्भ में इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ड्रग प्राइस कण्ट्रोल ऑर्डर 2013 के शेड्यूल में कुल दवाईयों में से केवल 20 प्रतिशत दवाईयों का ही उल्लेख है और उन्हीं के एमआरपी पर नियंत्रण है। शेष 80 प्रतिशत दवाईयों के सम्बन्ध में उक्त ऑर्डर में कोई नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण दवाई बनाने वाली कंपनियां वास्तविक कीमत से 4-5 गुनी कीमत एमआरपी के रूप में दर्शा देती हैं जिससे दवाई विक्रेता ऊँचे दाम पर दवा बेचता है और गरीब मरीजों का शोषण करता है। अतः यह आवश्यक है कि समस्त दवाईयों की एमआरपी के निर्धारण की व्यवस्था हो।

**इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका - रिट पिटीशन सिविल सं0 794 वर्ष 2023 भी लम्बित है जिसमें केन्द्र सरकार सहित सभी को नोटिस दिनांक 18.08.2023 को जारी किये जाने के आदेश हो चुके हैं।**

हमारा आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त जनहित याचिका में केन्द्र सरकार गरीब मरीजों का ध्यान रखते हुए अपना सकारात्मक प्रतिउत्तर यथाशीघ्र प्रस्तुत करे ताकि याचिका का निस्तारण शीघ्रता से हो सके और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विद्यमान विसंगतियां दूर हों और गरीब से गरीब व्यक्ति को दवाई उपलब्ध हो सके और हर नागरिक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करे।

उक्त महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हुए इस पत्र की प्राप्ति एवं आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हेतु प्रतिकारत हैं।

मंगल कामनाओं सहित

सादर,

भवदीय,

(राजेश गोयल)  
अध्यक्ष

(मनीष अग्रवाल)  
पूर्व अध्यक्ष एवं चेयरमैन  
जन संपर्क एवं समन्वय प्रकोष्ठ